352

नि/निग0/रीवा/2018/0126

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

खण्ड पीठ रीवा म0प्र0

Rs.20 COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 1 रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE | 1 रु. | 2 रु. | 2 रु. | 2 रु. | 2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

Rs 30/-

1. गंगा प्रसाद गौतम उम्र 75 वर्ष

अधि0 श्री अनिल प्र. त्रिपाठी

2. जमुना प्रसाद गौतम उम्र 70 वर्ष

द्वारा पेश 30.12.17

दोनो के पिता स्व0 रामकृष्ण गौतम दोनो निवासी ग्राम सिसवा तहसील सिरमौर थाना गढ जिला रीवा म0प्र0

..... निगरानीकर्तागण/आवे0गण

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

मकसूदन गौतम पिता श्री नन्दकुमार गौतम निवासी ग्राम सिसवा तहसील सिरमौर थाना गढ जिला रीवा म0प्र0

..... गैरनिगरानीकर्तागण/अना0

निगरानी सीमांकन आदेश प्र0क0 87/अ12/2016-17 आदेश दिनांक 12.07.17 आदेश श्रीमान राजस्व निरीक्षक मण्डल लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

1. यह कि सीमांकित आराजी ग्राम सिसवा पटवारी हल्का सिसवा सर्क्रिल लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा में स्थित भूमि खसरा क0 170/2 रकवा 0.031हे0, व 173/2 रकवा 0.089 हे0 के भूमिस्वामी अनावेदक दर्ज अभिलेख है।

गंगाप्रसाद

जमुनाप्रसाद

(352)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्र. ..कि... /निग0/रीवा/भू–रा0/2018/126 जिला–रीवा

गंगा प्रसाद गौतम/मकसूदन प्रसाद गौतम

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल लालगांव, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 87/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	